बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09 / आ0–02–20 / 2018 / स्वा0 / पटना,दिनांक /क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं मगध प्रमंडल गया के पत्र सं0 494 दिनांक 04.08.17 एवं 90 दिनांक 24.1.18 के द्वारा डा0 बबन कुंवर सिविल सर्जन गया के विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित कर उपलब्ध कराया गया।

2. डा0 कुंवर के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया कि श्री शशिभूषण मीर आबू सालेह, मुरारपुर गया ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया कि अधिसूचना सं0 807(10) दिनांक 16.10.15 में स्पष्ट निदेश के बावजूद इसका अनुपालन डा0 कुंवर के द्वारा नहीं करते हुए पूर्व पदस्थापित पदाधिकारी से कार्य लिया जा रहा है। डा0 कुंवर को अतिरेक पदाधिकारी को विभागीय निदेश के आलोक में अन्य स्थान पर सामंजित करना था, जिसके संबंध में विभागीय पत्रांक 437(3) दिनांक 12.10.15 द्वारा निदेश दिया जा चुका था। आरोपकर्ता ने अपने आरोप पत्र में यह भी अंकित किया था कि जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के लाखों रूपये का स्प्रीट खरीदकर राशि का दुरूपयोग किया गया तथा प्राइवेट वाहन रखकर गाड़ी का निजी उपयोग किया गया जबकि व्यावसायिक वाहन भाड़े पर रखा जाना चाहिए था।

3. डा0 कुँवर पर लगाए गए आरोप का प्रथम अंश इस कारण प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा त्वरित गति से विभागीय निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 933(9) दिनांक 31.08.17 के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। डा0 कुंवर द्वारा दिनांक 21.9.17 को समर्पित स्पष्टीकरण में स्प्रिट के क्रय के संबंध में बताया गया कि जिला यक्ष्मा कार्यालय गया में स्प्रिट का क्रय एवं वापसी से संबंधित मामला उनके पदस्थापन काल के पूर्व का है। इसके लिए डा0 विजय कुमार के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को भेज दिया गया। वाहन के दुरूपयोग के संबंध में डा0 कुवंर ने कहा कि भाड़े पर लिए गए वाहन को जिला यक्ष्मा कार्यालय के पत्रांक 363 दिनांक 16.12.16 द्वारा निबंधन न रहने के कारण हटा दिया गया।

4. डा0 कुवंर के स्पष्टीकरण की समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा विभागीय आदेश के अनुपालन में विलम्ब किया गया। डा0 कुंवर के विरूद्ध गठित आरोप इस हद तक प्रमाणित होता है वर्णित स्थिति में आरोप के प्रमाणित अंश एवं इसकी प्रकृति को देखते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से उनके विरूद्ध निंदन की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 577(9) / स्वा0, पटना , दिनांक: 30/5/2019

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

D:\All Letter 2017 SWETA\Notification.docx

प्रतिलिपिः—महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / उप सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर— निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डा0 बबन कुंवर सिविल सर्जन गया सम्प्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव